भारत का लोक ऋण

(PUBLIC DEBT OF INDIA)

45.1 भूमिका (Introduction)

सरकार द्वारा ऋण लेने की प्रथा कोई नई या आधुनिक नहीं है। परन्तु, वर्तमान समय में लिए जाने वाले ऋणों की कार्यप्रणाली प्राचीन पद्धति से सर्वथा भिन्न है। इसका क्षेत्र भी प्राचीन काल से भिन्न एवं व्यापक बन गया है। विश्व में सार्वजनिक ऋण का इतिहास जनतन्त्रीय सरकार के उदय के साथ जुड़ा है।

45.2 स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व भारत का लोक ऋण

भारत में लोक ऋण का प्रारम्भ ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन काल में हुआ। समय-समय पर युद्ध लड़ने के लिए ऋण की आवश्यकता का अनुभव हुआ। 1765 में जब कम्पनी ने बंगाल की दीवानी हासिल की, कम्पनी का कर्ज काफी बढ़ा हुआ था, लेकिन इसी समय जहां एक ओर कम्पनी के व्यय में वृद्धि होने लगी, दूसरी ओर उसके व्यापार में कमी आने लगी। 1792 में कम्पनी का ऋण भार 70 लाख पाउण्ड था। यह 1856 में बढ़कर 595 लाख पाउण्ड हो गया। 1860 में जब कम्पनी का शासन काल समाप्त हो गया, भारत का लोक ऋण 10 करोड़ पाउण्ड हो गया था। 1870 के पश्चात् सरकार ने ऋण नीति को बदल दिया। अधिकांश ऋण ब्रिटेन से ही प्राप्त होते थे। उन्नीसवीं सदी के अन्त तक ऋणों की राशि 231 करोड़ रुपए हो गयी थी। 1914 में यह बढ़कर 510 करोड़ रुपए हो गयी। वर्तमान सदी के प्रारम्भ से ही सरकार ने ऋण वापसी की व्यवस्था अपनायी जिस कारण ऋण की मात्रा घटकर 105 करोड़ रुपए ही रह गयी।

1929-32 की मन्दी के समय घाटे के बजट के कारण 1934 में ऋण की राशि बढ़कर 1,212 करोड़ रुपए हो गयी। 1939 से प्रारम्भ द्वितीय विश्वयुद्ध के समय से लोक ऋण की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई। 1939 में भारत के आन्तरिक एवं बाह्य ऋणों की कुल राशि 1,206 करोड़ रुपए थी जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपये में)

आन्तरिक ऋण	437.87	**इंग्लैण्ड में दायित्व**	
छोटी बचतें	141.75	स्टर्लिंग ऋण	464.94
खजाने के बिल, आदि	46.00	अन्य ऋण	4.18
भविष्य निधि, आदि	111.02	कुल	469.12
कुल आन्तरिक देयताएं	736.64		

कुल देयताएं = 736.44 + 469.12 = 1,205.76 करोड़ रुपए

विश्व युद्ध के पूर्व तत्कालीन विदेशी सरकार ने ऋण के भुगतान के लिए निम्न तरीके अपनाए थे :

(1) एक परिशोध कोष (Sinking fund) खोला गया। इसमें रेलों से प्राप्त आय जमा की जाती थी और इसका उपयोग केवल रेलवे वार्षिकियों (Railway annuities) का भुगतान करने के लिए किया जाता था।

(2) 10 लाख पाउण्ड के वार्षिक अकाल बीमा अनुदान (Finance Insurance Grant) के कुछ भाग का उपयोग ऋण के भुगतान के लिए किया जाने लगा।

(3) अनुत्पादक ऋणों के भार को कम करने के लिए बजट की बचतों का प्रयोग किया जाने लगा।

Scanned with CamScanner

एक बात और ध्यान देने योग्य है। 1939 में 1,206 करोड़ रुपए के कुल ऋण का 77 प्रतिशत उत्पादक कार्यों के लिए था। यह भी ध्यान देने योग्य है कि कुल ऋण का 61 प्रतिशत आन्तरिक तथा 39 प्रतिशत विदेशी ऋण था।

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत ने अपने विदेशी ऋण का भुगतान निम्न उपायों द्वारा किया :

(क) व्यापार सन्तुलन में बचत के द्वारा;

(ख) लन्दन में चांदी की बिक्री के द्वारा; तथा

(ग) भारत में ब्रिटिश सरकार के लिए खाद्यान्न एवं कच्ची सामग्री की खरीद के माध्यम से।

1994-95 में भारत का स्टर्लिंग जमा 2,300 करोड़ रुपए का हो गया। इस जमा के एक भाग का उपयोग स्टर्लिंग ऋण के भुगतान के लिए किया गया। आन्तरिक ऋण 736 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,937 करोड़ रुपए हो गया।

45.3 लोक ऋण तथा अन्य देयताओं की व्याख्या

आज के भारतीय बजट व्यवहार के अनुसार केन्द्रीय सरकार के लोक ऋण (public debt) में तीन प्रकार की देयताएं (liabilities) शामिल हैं, यथा (i) आन्तरिक ऋण, (ii) बाह्य ऋण तथा (iii) अन्य देयताएं।

आन्तरिक ऋण एवं बाह्य ऋण को मिलाकर भारतीय लोक ऋण बनता है तथा यह भारत की समेकित निधि (Consolidated Fund of India) के अन्तर्गत सुरक्षित है। भारतीय संविधान की धारा 292 में भारत की समेकित निधि के अन्तर्गत सुरक्षित लोक ऋण की सीमा निर्धारित करने का प्रावधान है किन्तु 'अन्य देयताओं' को लोक लेखा (Public Account) के अन्दर प्रतिबाधित किया जाता है। धारा 293 का सम्बन्ध राज्यों के ऋण से है और इसमें राज्य विधायिका को राज्य की समेकित निधि के अन्तर्गत सुरक्षित ऋण पर सीमा निर्धारित करने का अधिकार है। राज्यों के ऋण लेने का अधिकार आन्तरिक ऋण तक सीमित है और जब तक राज्य भारत सरकार का ऋणी है उसे ऋण लेने के लिए भारत सरकार की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी।

आन्तरिक ऋण (Internal Debt) में शामिल मदें निम्नलिखित हैं :

(i) चालू बाजार ऋण (Current Market Loans)

(ii) अन्य—मियाद समाप्त हो जाने वाले ऋण का शेष, क्षतिपूर्ति तथा अन्य बॉण्ड, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बॉण्ड तथा पूंजी निवेश बॉण्ड

(iii) विशेष धारक बॉण्ड (Special Bearer Bonds)

(iv) खजाना बिल (Treasury Bills)

(v) विशेष फ्लोटिंग तथा अन्य ऋण—प्रमुख रूप से IMF, IBRD, IDA, ADB, आदि अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को जारी किए गए गैर-ब्याज गैर-विक्रेय प्रतिभूतियां

(vi) RBI को जारी की गयी विशेष प्रतिभूतियां।

भारत को अधिकांश बाह्य ऋण भारत सहायता संघ (Aid India Consortium) से प्राप्त होता है। इस संघ की अध्यक्षता विश्व बैंक करता है। इसके अतिरिक्त अन्य स्रोत भी हैं। इन सभी स्रोतों को निम्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है :

(i) विश्व बैंक ग्रुप (World Bank Group)

(ii) संयुक्त राष्ट्र एजेन्सियां (U. N. Agencies)

(iii) यूरोपीय साझा बाजार (EEC)

(iv) एशिया विकास बैंक (ADB)

(v) नारडिक निवेश बैंक (Nordic Investment Bank)

(vi) द्विपक्षीय सहायता

अन्य देयताओं में सम्मिलित मद निम्नलिखित हैं :

(i) लघु बचत (Small Savings)

(ii) भविष्य निधि—(क) सार्वजनिक भविष्य निधि तथा (ख) राज्य भविष्य निधि

(iii) अन्य लेखाएं—प्रमुख रूप से डाक, बीमा तथा जीवन वार्षिकी कोष, अनिवार्य जमा तथा आयकर वार्षिकी जमा से प्राप्त उधार एवं गैर-सरकारी भविष्य निधि का विशेष जमा

(iv) रिजर्व कोष एवं जमा—(क) ब्याज पर तथा (ख) बिना ब्याज पर

Scanned with CamScanner

उपर्युक्त सभी मदों की विवेचना भारत सरकार की कुल देयताओं के सम्बन्ध में की जाती है
के लोक ऋण के अन्तर्गत शामिल मदें निम्नलिखित हैं :

(1) केन्द्र से प्राप्त उधार एवं अग्रिम

(2) बाजार उधार एवं बॉण्ड

(3) बैंक तथा अन्य संस्थाओं से प्राप्त उधार

(4) भविष्य निधि एवं अन्य कोष—राज्य भविष्य निधि, बीमा तथा पेन्शन निधि, आदि।

Scanned with CamScanner